UPSR010010362026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06538**

अग्रिम जमानत आवेदन नं०-397/2026

1–**ओम प्रकाश** उम्र लगभग 48 वर्ष पुत्र राम मनोहर,

2–**निर्मला देवी** उम्र लगभग 46 वर्ष पत्नी ओम प्रकाश,

ग्राम–उमायल खुर्द, थाना–भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

............आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उ0 प्र0 ....अभियोगी

अ0सं0–215/2026
धारा–115 (2), 125, 324 (2), 333, 351 (3), 352 बी0एन0एस02023
थाना–भिनगा, जिला–श्रावस्ती

दिनांक 01.06.2026

निस्तारण अग्रिम जमानत आवेदन

1– वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण/अभियुक्तगण **ओम प्रकाश** एवं **निर्मला देवी** की ओर से अपराध संख्या 215/2026, धारा 115 (2), 125, 324 (2), 333, 351 (3), 352 बी0एन0एस0 2023, थाना भिनगा, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादिनी मुकदमा परी मिश्रा ने प्रभारी निरीक्षक थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती को दिनांक 15.05.2026 को इस आशय की तहरीर दिया कि वादिनी के पिता जगदीश प्रसाद के सगे भाई ओम प्रकाश हैं। बंटवारा करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुका है। आज दिनांक 15.05.2026 दोपहर करीब 12 बजे अपने पिता व मॉ के साथ घर पर थी तभी विपक्षीगण ओम प्रकाश पुत्र राम मनोहर व किशन पुत्र ओम प्रकाश व निर्मला देवी पत्नी ओम प्रकाश निवासीगण उमायल खुर्द थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती ने बंटवारा को लेकर वादिनी का पक्का मकान तोड़कर भद्दी–भद्दी गाली देते हुए घर में घुस आये और लात घूसा व अद्धा से मारने लगे। वादिनी के मॉ बाप जब वादिनी को बचाने लगे तब विपक्षीगणों ने उन लोगों को भी काफी मारा पीटा है। विपक्षीगण जान से मार डालने की धमकी भी दे रहे थे। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.06.01 17:05:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त तहरीर के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 115 (2), 125, 324 (2), 333, 351 (3), 352 बी0एन0एस0 में पंजीकृत हुई।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क दिया गया कि स्थानीय पुलिस थाना भिनगा द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध मनगढंत धाराओं के तहत एक झूठी और निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी थी जिसमें आवेदकगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाने का अंदेशा बना हुआ है। कथित पीड़िता वादिनी मुकदमा परी मिश्रा आवेदक/अभियुक्त ओम प्रकाश की सगी भतीजी है यानी उसके बड़े भाई जगदीश प्रसाद की पुत्री है। यह सम्पूर्ण विवाद पूर्णतः पारिवारिक और पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे व हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का हिस्सा हड़पने के उद्देश्य से वादिनी के पिता द्वेष भावना के वश में आकर, अपनी पुत्री को ढाल बनाकर आवेदकगण/अभियुक्तगण पर अवैध दबाव बनाना चाहते हैं, ताकि आवेदकगण/अभियुक्तगण को उनके जायज पैतृक मकान व हिस्से से वंचित किया जा सके। आवेदकगण/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और समाज में उनकी छवि है। इस प्रकार उनके फरार होने या न्याय की प्रक्रिया से भागने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा लगाई जाने वाली सभी उचित शर्तों का पालन करने, विवेचना में पूर्ण सहयोग करने और न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होने के लिए पूरी तरह तैयार और बचनबद्ध है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना है।

4– इसके विपरीत विद्वान डी0 जी0 सी0 क्रिमिनल द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा तथा उनके माता पिता को घर में घुसकर मारपीट कर चोटें पहुॅचाई गयी हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने की याचना है।

5– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अग्रिम जमानत का प्रावधान निम्न प्रकार अंकित है–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन

न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्ते, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:–

i- यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा,

ii- यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा,

iii- यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुजा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

iv- ऐसी अन्य शर्ते जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती है मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेष के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री गुरूबक्स सिंह सिबिया व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य (1980) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 565** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को अग्रिम जमानत पर आदेश पारित करते समय यह निर्धारित करना चाहिए कि अपराध की गम्भीरता कितनी है और क्या अभियुक्त की उपस्थिति विचारण के दौरान सुनिश्चित की जा सकेगी अथवा वह मुकदमें के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा जनहित व राज्य का हित भी न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धाराम सत्यलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 694 की विधि व्यवस्था के प्रस्तर संख्या 112 में यह भी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अग्रिम जमानत निस्तारित करते समय निम्नलिखित माप दण्ड अपनाया जाना चाहिए–

1. अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा अपराध कारित करने वाले अभियुक्ता की भूमिका,

2. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तथा यदि वह किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि में जेल गया हो,

3. अभियुक्त के मुकदमें के विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की सम्भावना,

4. अभियुक्त द्वारा पुनः ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना,

5. अभियुक्त को केवल चोट पहुॅचाये जाने अथवा प्रताड़ित किये जाने हेतु गिरफ्तार किया जाना,

6. अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने से जनता के लोगों में उसका प्रभाव,

7. न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए,

8. अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को दोनों तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि विवेचना स्वतंत्र, साफ सुधरी हो और अभियुक्त का भी कोई उत्पीड़न या अपमान करने का आशय का नहीं होना चाहिए,

9. अभियुक्त के द्वारा गवाहों को, अथवा वादी को कोई धमकी, उत्प्रेरणा या वचन दिये जाने की सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए,

10. न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी संभावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए तथा अभियोजन पक्ष के केस में यदि संदेह हो, तब जमानत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामान्यता अभियुक्त को जमानत दिया जाना चाहिए।

6– मेरे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया गया। मामले की विवेचना लम्बित है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अधिकतम सात वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंतिल प्रति सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इनवेस्टीगेशन** तथा **श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0 प्र0 राज्य** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था को

दृष्टिगत रखते हुये तथा मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, इस न्यायालय की राय में आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **ओम प्रकाश** एवं **निर्मला देवी** की ओर से अपराध संख्या 215/2026, धारा 115 (2), 125, 324 (2), 333, 351 (3), 352 बी0एन0एस0 2023, थाना भिनगा, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण को रूपये बीस–बीस हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि का एक–एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर दाखिल किये जाने जमानत पर रिहा किया जाये।

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 01.06.2026